

196/25

बीमन जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 13/2/25 द्वारा
नायब सप्ले एडवाइसरी पीठासीन अधिकारी राजस्थान कानूनकारी अधिनियम 1956 की धारा
63 के अंतर्गत 183/84 एवं 212 के अंतर्गत विधायक तहसील तबादीपुर की पत्रावलीया अंतरिम
लेकर बस्ते सुनवाई गान हुई है। उक्त पत्रावलीया में 183/84 के अंतर्गत को बस्ते सुनवाई तलख किया
जाता है। उक्त पत्रावलीया में 212 के अंतर्गत को भी तलख किया जा रहा है।
क समस्त सप्ले विभाग में उक्त पत्रावलीया के अंतर्गत उक्त पत्रावलीया
धारा 212 (1) के अंतर्गत को सुनवाई के अंतर्गत को तलख किया जा रहा है कि उक्त समस्त पत्रावलीया
में लकी चार पत्रावलीया के अंतर्गत को सुनवाई के अंतर्गत को तलख किया जा रहा है कि उक्त समस्त पत्रावलीया
दिनांक 21/11/25 को पेश हो।
दिनांक 2/1/25 से रीडर

रीडर
सहायक कलेक्टर भीलवाड़ा

21/1/25
2558
8/12/25
T.D.R. अर्दी

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 21/8/25 को पेश हो।
आदेश से रीडर

27/8/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 21/11/25 को पेश हो।
आदेश से रीडर

21/11/25

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 21/12/25 को पेश हो।
आदेश से रीडर

31/1/25 पत्रावली-पेश हुयी / नादीगाना 3- 2015 25/1/25 पेश -
नादीगाना-से 31/1/25 नादीगाना-ना 3- 2015 25/1/25 पेश -
नादीगाना-से 31/1/25 नादीगाना-ना 3- 2015 25/1/25 पेश -
नादीगाना-से 31/1/25 नादीगाना-ना 3- 2015 25/1/25 पेश -

सहायक कलेक्टर

1961 25

अम्बाला व/उ रामेश्वरलाल

क्रमांक

हुक्म या कार्यवाही प्रथम इन्डियापल्स जल

नम्बर व तारीख
अह्काव जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

31/12/25

उ- वाद सुप्रीम प्रिडुल परी काने 15

वादी- सी. सु. प्रिडुल वाद रमाशिवरिणी

जाल की सिरीय सेल रमाशिवरिणी सुप्रीम

जमा. पत्रावली- प्रिडुल सुकाल रीउल रमाशिवरिणी

रमाशिवरिणी प्रिडुल सुकाल रीउल रमाशिवरिणी

रमाशिवरिणी प्रिडुल सुकाल रीउल रमाशिवरिणी


31/12/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा